उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ अपर आमवाला देहरादून

उत्तराखण्ड सम्मिलित सीधी भर्ती परीक्षा–2011, के अन्तर्गत ग्रुप 10 में ग्राम्य विकास विभाग में ग्राम्य विकास अधिकारी पद हेतु शारीरिक परीक्षा एवं अभिलेख सत्यापन सम्बन्धी सूचना

उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् रूड़की की विज्ञापन संख्याः 699 राज्य समूह 'ग' भर्ती/01/2011–12 दिनांक 4 मई 2011 के अन्तर्गत ग्रुप 10 की लिखित परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर पदकोड–25, ग्राम्य विकास अधिकारी पद हेतु रिक्तियों के सापेक्ष विज्ञापन संख्या सं0 2432/उप्राशिप/समूह–ग/प0परि0/जी–23/2012–13 दिनांकः 29/8/2012 के माध्यम से दिनांक 25 सितम्बर 2012 से दिनांक 28 सितम्बर 2012 के मध्य शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित कर चयन सूची जारी की गयी।

माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या WPSS 49/2014 (श्री वीरेन्द्र सिंह तोमर बनाम राज्य) एवं 1387/2012 (श्री कुंवर अमित प्रकाश बनाम राज्य) में निर्गत आदेशों एवं अपर सचिव, ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड शासन द्वारा पत्र संख्या 170/XI/19/50(01)2014 दिनांक 01 जुलाई 2019 द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में ग्रुप–10 पदकोड–25 पदनाम–ग्राम विकास अधिकारी के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रिक्त पद को भरे जाने हेतु लिखित परीक्षा में क्वालीफाई 40 अंक तक प्राप्त करने वाले समस्त अभ्यर्थियों (जिन्हें पूर्व में दिनांक 25 सितम्बर 2012 से दिनांक 28 सितम्बर 2012 के मध्य शारीरिक दक्षता परीक्षा में आमंत्रित नहीं किया गया है) को दिनांक 22 सितम्बर 2019 को महाराणा प्रताप स्पोर्टस कालेज देहरादून में प्रातः 10.00 बजे अभिलेख सत्यापन/शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु निम्नानुसार आमंत्रित किया जाता हैः–

अनुसूचित जातिः–

201108028 201305240	201305257 201305395	201313277 201404250	201407098 201408286	201501321 201602316	201604523 201803014	201804528 202002107	202002182 202101267	202205325 202209140	202209143 202504162	202602078 202701338	202703146 202703269	202704293 202802249	202902179

अनुसूचित जनजातिः–

201101238 201102111	201103673 201106331	201106392 201107232	201107270 201107296	201108370 201204098	201204148 201307149	201804066 202205374	202205488 202302311	202304228 202403055	202505043 202701414	202702158	202702399	202704222	202801464

ग्राम्य विकास अधिकारी पद हेतु लिखित एवं शारीरिक परीक्षा हेतु निम्नवत अर्हता अनिवार्य हैंः–

विज्ञान या कृषि के साथ माध्यमिक शिक्षा परिषद् की इन्टरमीडिएट परीक्षा या समकक्ष।

नियम 5 के अधीन ग्रम विकास अधिकारी के पद पर अभ्यर्थियों का शारीरिक परीक्षण किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित बातें होंगीः–

क.

क्र0 सं0	विवरण	न्यूनतम निर्दिष्टियॉ	विहित स्तम्भ के अनुसार न्यूनतम निर्दिष्टियों के लिये दिये गये अंक	योग्यता की निर्दिष्टियॉ	दिये जाने वाले अधिकतम अंक
1	2	3	4	5	6
(एक)	एक मील की दौड़	नौ मिनट में पूरी करने पर	पॉच	छः मिनट में पूरी करने पर	दस
(दो)	शारीरिक व्यायाम, दंड और बैठक	पन्द्रह दंड और तीस बैठक	पॉच	पच्चीस दंड और पचास बैठक	दस
(तीन)	लम्बी कूद	दस फुट तक	पॉच	पन्द्रह फुट तक	दस
(चार)	चार मील की साइकिल दौड़	पैंतालीस मिनट में पूरी करने पर	पॉच	पन्द्रह मिनट में पूरी करने पर	दस
(पॉच)	दो मील चलना	पैंतालिस मिनट में पूरा करने पर	पॉच	पन्द्रह मिनट में पूरी करने पर	दस

ख. पर्वतीय सम्भागों में, जहॉ साइकिल दौड़ सम्भव न हो या जहॉ साइकिल का कम उपयोग किया जाता है, साइकिल दौड़ के स्थान पर घुड़सवारी या इसी प्रकार की अन्य परीक्षा ली जा सकती है।

ग. ऐसे अभ्यर्थी को जो शारीरिक परीक्षा में कम से कम पन्द्रह अंक प्राप्त करें, इस प्रयोजन के लिए शारीरिक परीक्षा में अर्ह समझा जायेगा।

प्रवीणता सूची तैयार करने हेतु लिखित परीक्षा एवं शारीरिक परीक्षा में अर्ह अभ्यर्थियों के अंकों को जोड़कर तैयार की जायेगी।

प्रशिक्षणः– चयन किये गये अभ्यर्थियों को मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने के पूर्व अपने खर्चे पर, सरकार द्वारा समय–समय पर यथा विनिर्दिष्ट स्थान पर दो वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

उपरोक्तानुसार शारीरिक परीक्षा हेतु समस्त अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है अभिलेख सत्यापन/शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान निम्नवत अभिलेखों के साथ उपस्थित होवें

1. उत्तराखण्ड में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में जीवित पंजीकरण प्रमाण पत्र की 2–2 छायाप्रति एवं मूल प्रति। (11 जुलाई 2011 से पूर्व का जारी हो।)
2. समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों, उपाधियों एवं अंकतालिकाओं की 2–2 छाया प्रतियां एवं मूल प्रतियां।
3. समस्त आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्रों (आरक्षित वर्ग SC,ST के अभ्यर्थियो हेतु उत्तराखण्ड का स्थाई निवास प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है) की 2–2 छाया प्रतियां एवं मूल प्रतियां।
4. केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु विभाग द्वारा देय अनापत्ति प्रमाण पत्र की 2 छायाप्रति एवं मूल प्रतियां।
5. फोटो आई0डी0 के साथ दो नवीनतम फोटोग्राफ।
6. लिखित परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र एवं बुलावा पत्र मूल रूप में।
7. निर्धारित प्रारूप पर भरा हुआ आवेदन पत्र बुलावा पत्र के साथ संलग्न किया गया है।

नोटः– मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित रिट याचिकाओं संख्या 49 आफ 2014 एवं 1387 आफ 2012 में निर्गत अंतरिम निणयों के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की एक–एक सीट रिक्त रखी गयी है।

सं0 822/उप्राशिप/समूह–ग/शा0द0प0/जी–10/2018–19 दिनांकः 04/09/2019

सचिव